

—: विस्तृत विज्ञापन :-

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, का पत्र क्र J. 11060/51/2011-MGNREGA s1,NO.6 दिनांक 28 फरवरी 2014 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 4296 दिनांक 28.10.2014 अनुसार रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत तकनीकी पर्यवेक्षक छः माह के लिए चयन किया जाना है। इस पद पर कार्य करने के इच्छुक पात्र अभियर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

शैक्षणिक अर्हताएं

क्रं.	पदनाम	पद की संख्या	परिलब्धि	योग्यता	वरियता निर्धारण हेतु अंक	
1	तकनीकी पर्यवेक्षक	01	रु. 20000/- एकमुश्त प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> <li>पी.जी.डी.सी.ए.(पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन)</li> <li>उच्च योग्यताधारी को प्राथमिकता।</li> <li>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत एम.आई.एस. संबंधी कार्य करने वाले को प्राथमिकता।</li> </ul>	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का अधिभार।	40
					कम्प्यूटर व प्रायोगिक (कौशल)परीक्षा पर 100 अंक का अधिभार।	50
					महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य अनुभव:-	
					न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5
					2 वर्ष से अधिक का अनुभव	10

- कम्प्यूटर से संबंधित न्यूनतम अर्हता के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु वरियता निर्धारित किये जावेगे।
- तकनीकी पर्यवेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रायोगिक परीक्षा के 50 अंकों का विभाजन :-

प्रायोगिक परीक्षा तीन भागों में ली जावेगी :-

1. प्रथम भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार की निम्नानुसार लिखित परीक्षा:-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, एम.आई.एस (मॉनिटरिंग इंफरमेशन सिस्टम) एवं ई-एफ.एम.एस. (इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेण्ट सिस्टम) के ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तरी (10 प्रश्न) (समय – 15मिनट, अंक-15)

2. द्वितीय भाग में कम्प्यूटर की प्रायोगिक परीक्षा :-

- हिन्दी एवं अंग्रेजी में दिये गये 250-250 शब्द के लेटर को एम.एस.वर्ल्ड में टाईप कर सेटिंग करना एवं प्रिंट निकालना (टाईप किये गये शब्दों के अनुपात में अंक प्रदाय किये जावेगे तथा प्रत्येक 25 त्रुटि पर 1 अंक काटा जावेगा) (समय- 10 मिनट अंक – 05)
- नरेगा साफ्ट से कोई रिपोर्ट दी जाए जिसे अभ्यर्थी द्वारा एम.एस.एक्सल में तैयार कर, सेटिंग कराना एवं प्रिंट निकालना (समय- 15 मिनट अंक – 10)
- ग्रामीण विकास की योजनाओं पर 03 स्लाइड्स का पावरपाइंट प्रस्तुतीकरण तैयार करना (समय- 20 मिनट अंक – 15)

3. तृतीय भाग में साक्षात्कार :-

अभ्यर्थी का ज्ञान एवं अभिव्यक्त करने की क्षमता – 05अंक

कुलअंक – 50

तकनीकी पर्यवेक्षक के कार्य :-

1. तकनीकी पर्यवेक्षक भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र J. 11060/51/2011-MGNREGA S1,NO.6 दिनांक 28 फरवरी 2014 में उल्लेखित ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सहायक, जनपद पंचायत स्तर के एम.आई.एस. से संबंधित कार्यक्रम अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, लेखापाल, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, समन्वयक तकनीकी, तकनीकी सहायक एवं सहायक ग्रेड-3, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के अधिकारी, मनरेगा से संबंधित कलस्टर जिला के अधिकारी/कर्मचारी का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास।
2. राज्य स्तर पर तकनीकी पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।

नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन बंद लिफाफे में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के मनरेगा शाखा में दिनांक-20.11.2014 तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किये जावेगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2014 के आधार पर की जावेगी।

3. अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। स्व सत्यापित निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। (सरगुजा एवं बस्तर संभाग में संबंधित कलस्टर जिला के निवासी कर सकेंगे)
4. महात्मा गांधी नरेगा में कदाचरण के आरोप में हटाये गये अथवा ब्लैक लिस्टेड किये हुए व्यक्ति / अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होंगे।
5. व्यक्तिगत रूप से आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
6. आवेदन पत्र के साथ दो लिफाफा जिसमें 5/- टिकट सहित आवेदक के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. नियुक्ति 06 माह तक के लिये होगी, इसके आगे सेवा वृद्धि नहीं की जावेगी।
8. सेवा समाप्ति पश्चात् दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
9. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरियता क्रम के आधार पर जांच कर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर को होगा। इसके लिए वरियता क्रम तैयार कर 10 आवेदकों का कौशल परीक्षण लिया जावेगा। 05 आवेदकों का वरियता क्रम के आधार पर सूची तैयार किया जावेगा तथा प्रथम वरिष्ठ आवेदक का चयन आदेश जारी किया जावेगा, शेष प्रतीक्षा सूची में रहेंगे।
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
11. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
12. लिफाफे के ऊपर पदनाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
13. आवेदन महात्मा गांधी नरेगा द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जावे। आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वयं/राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।
14. नियुक्ति के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।
15. आवेदन पत्र का प्रारूप विस्तृत विज्ञापन जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर महात्मा गांधी नरेगा में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकती है। जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर महात्मा गांधी नरेगा की वेबसाइट [www.raipur.gov.in](http://www.raipur.gov.in) से आवलोकन किया जा सकता है। कलस्टर जिला अन्तर्गत आने वाले कार्यलय कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला रोजगार एवं प्रशिक्षण मार्गदर्शन केन्द्र, जिले के अन्तर्गत समस्त जनपद पंचायत के सूचना फलक पर प्रदर्शित किया जावेगा।
16. यह नियुक्ति, शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली नियमित नियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से पृथक होगी। अतः तकनीकी पर्यवेक्षक के पद पर चयनीत अभ्यर्थियों को शासकिय सेवक का दर्जा प्राप्त नहीं होगा।
17. शासकीय सेवा में किसी भी रूप में कार्यरत व्यक्ति तकनीकी पर्यवेक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे।
18. कलस्टर अनुसार एक से अधिक जिले में कार्यरत तकनीकी पर्यवेक्षक को रू. 20000/- मात्र एकमुश्त राशि प्रतिमाह दिया जायेगा।
19. तकनीकी पर्यवेक्षक को आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासकिय सहायता पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
20. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, का पत्र क्र J. 11060/51/2011-MGNREGA s1,NO.6 दिनांक 28 फरवरी 2014 के अनुक्रम में जारी आदेश निर्देश मान्य होगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**  
**जिला पंचायत रायपुर**

## आवेदन पत्र का प्रारूप

अभिप्रमाणित फोटो  
चिपकाएं

पद जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है :- .....

आवेदक का नाम :- .....

पिता/पति का नाम :- .....

जन्मतिथि :- .....

आयु (01.01.2014 के अनुसार) :- .....

ज0ाति (अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग) :- .....

स्थायी पता :- .....

:- .....

:- .....

पत्र व्यवहार का पता :- .....

:- .....

:- .....

शैक्षणिक योग्यता :-

योग्यता	बोर्ड/ वि.विद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	डिग्री/डिप्लोमा	प्राप्तांक	पूर्णांक	विषय	प्राप्तांको का प्रतिशत
---------	---------------------------------	------------------	-----------------	------------	----------	------	------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

// 2 //

महात्मा गांधी नरेगा में एम.आई.एस.कार्यानुभव (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये)

कार्यालय का नाम	पदनाम	वेतन	कब से	कब तक	कुल अवधि

अन्य योग्यता : .....

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....

**घोषणा** : मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां सत्य हैं, तथा इनके किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर  
(नाम) .....